न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश बारैठ {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 63/2017

1. सुखचैन सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी 55 एफ तहसील श्रीकरणपुर

--प्रार्थी--

बनाम

1. हरवंस सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 55 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र हरवंस सिंह जाति जटसिख निवासी 55 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
3. जसवंत सिंह हरवंस सिंह जटसिख निवासी 55 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

1. राजेन्द्र रमाणा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. गंगाराम अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से

दावा अन्तर्गत धारा 88-188-53 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 14-08-2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा और वादी के परदादा जंगीर सिंह पुत्र दल सिंह के नाम चक 55 एफ के मु0न0 32, 33, 68/7, 68/8 मे कुल 8.473 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी तथा जंगीर सिंह की मृत्यु के उपरांत उसके दोनो पुत्रो गुरदीप सिंह व हरवंस सिंह के नाम दर्ज हुई वर्तमान मे चक 55 एफ की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 15/13 के मु0न0 32, 33, 68/7, 68/8 की कुल 4.237 हैक्टर नहरी भूमि वादी के दादा हरवंस सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। यह भूमि पैतृक सम्पति है, जिस पर वादी, प्रतिवादी संख्या 3 के साथ बहिस्सा बराबर का मालिक है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3-1/3 हिस्से के हकदार मालिक है। चक 55 एफ की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 112/105 के मु0न0 32, 33, 68/8, 68/24 की 4.173 हैक्टर नहरी भूमि वादी के परदादा जंगीर सिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व गुरदीप सिंह के बाल्यावस्था मे संयुक्त परिवार की सम्पति की आमदनी से खरीद कर दोनो के नाम लगवाई थी, जो पैतृक सम्पति की भाषा मे आती है। इस भूमि मे वादी के दादा हरवंस सिंह के नाम 2.066 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जिस पर वादी, प्रतिवादी संख्या 3 के साथ बहिस्सा बराबर का मालिक है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3-1/3 हिस्से के हकदार मालिक है। वादी के दादा हरवंस सिंह प्रतिवादी संख्या 1 के हक मे उसके भाई गुरदीप सिंह द्वारा चक 55 एफ के खाता संख्या 15/13 के मु0न0 32, 33, 68/7, 68/8 की अपने हिस्से की 4.237 हैक्टर नहरी भूमि मे से 1.897 हैक्टर नहरी भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 14.03.2017 को कर दी थी। यह भूमि गुरदीप सिंह को विरासत में प्राप्त हुयी थी। तथा इसके बदले वादी के दादा हरवंस सिंह द्वारा खुयोवाली तहसील व जिला सिरसा की भूमि जो हरवंस सिंह को विरासत में प्राप्त हुयी थी की दस्तबरदारी गुरदीप सिंह के हक में करवा दी थीं। इस प्रकार यह भूमि पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है। यह 1.897 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में अभी भी गुरदीप सिंह के नाम दर्ज है। इस प्रकार दोनों खातो की कुल 8.200 है0 भूमि सांझा खाता की हिन्दु खानदान की पैतृक सम्पति है। जो हरवंस सिंह को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुयी हैं। इस भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। इस भूमि का खाता विभाजन नही हुआ है। वादी अपने हिस्से की भूमि का आज तक शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। इसलिए वादी इस भूमि में बहिस्सा बराबर प्राप्त करने का अधिकारी है। और अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। और दावा पेश करने का हकदार है। प्रतिवादीगण इस भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने का अनुचित लाभ उठाकर इस पैतृक सम्पति को बेचान करने व स्थानान्तरण करने पर उतारू है। और वादी को इस भूमि से बेदखल करने की कोशिश में है। यदि उन्होनें ऐसा किया तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए वादी घोषणात्मक वाद व स्थायी निषेधाज्ञा का लाभ पाने का अधिकारी है। इस संबंध में वादी ने कई दिन पूर्व प्रतिवादीगण को उसके हिस्से की भूमि नाम करवाने बावत कहा तो उन्होनें इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारे हिस्से की भूमि का बेचान कर खुर्दबुर्द करेंगे। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादी को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। और ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। यही वादकारण है। राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र न्यायालय के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है। जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न प्रकार से डिगरी किया जावे। चक 55एफ की जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता सं0 15/13 के मु0 नं0 32,33,68/7,68/8 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 4.237 है0 नहरी भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 3 को 1/3 हिस्सा, व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को 1/3,1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। व इसी खाता की 4.237 है0 भूमि जो गुरदीप सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। गुरदीप सिंह के द्वारा अपने हिस्से की इस भूमि में से 1.897 है0 भूमि की दस्तबरदारी हरबंस सिंह के हक में करवा दी थी। परन्तु भूमि गुरदीप सिंह के नाम दर्ज है। यह 1.897 है0 भूमि हरबंस सिंह के हिस्से में आयी हैं। इस 1.897 है0 भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 3 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को 1/3,1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। व हिस्सा अनुसार खाता विभाजन की डिगरी जारी की जावे। चक 55एफ की जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता सं0 112/113 के मु0 नं0 32,33,68/8,68/24 की प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 2.066 है0 नहरी भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 3 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2व 3 को 1/3, 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। तथा इसी अनुसार खाता विभाजन की डिगरी जारी की जावे। एवं इस संबंध में इस भूमि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 3 की ओर से श्री गंगाराम प्रसाद शर्मा एवं प्रतिवादी सं0 2 जरिये मु0 आम हरबंस सिंह की ओर से श्री गंगाराम प्रसाद शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आए एवं सहमति का जवाब दावा पेश किया। उपस्थित दोनो पक्षों के द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का सहमति का जवाबदावा वादपत्र अनुसार वाद डिगरी किया जावे तो कोई ऐतराज नही है। दोनो पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि में से अपने हक व हिस्से की घोषणा बाबत निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही हैं। दोनो पक्ष वादपत्र अनुसार घोषणा एवं खाता विभाजन बाबत सहमत है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश सहमति के जवाबदावा के आधार पर वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर चक 55एफ की जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता सं0 15/13 के मु0 नं0 32,33,68/7,68/8 की कुल 8.473 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरबंस सिंह पुत्र जंगीर सिंह के नाम दर्ज 4.236 है0 भूमि में वादी सुखचैन सिंह पुत्र जसवंत सिंह व प्रतिवादी सं0 3 जसवंत सिंह पुत्र हरबंस सिंह बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 हरबंस सिंह 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 जसविन्द्र सिंह 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। व इसी खाता में गुरदीप सिंह पुत्र जंगीर सिंह के नाम दर्ज 4.237 है0 भूमि में से गुरदीप सिंह के द्वारा हरबंस सिंह के पक्ष में 1.897 है0 भूमि की दस्तबरदारी करवायी गयी है। इस 1.897 है0 भूमि में वादी सुखचैन सिंह पुत्र जसवंत सिंह व प्रतिवादी सं0 3 जसवंत सिंह पुत्र हरबंस सिंह बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 हरबंस सिंह 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 जसविन्द्र सिंह 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार चक 55एफ की जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता सं0 112/105 के मु0 नं0 32,33,68/8,68/24 की कुल 4.173 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरबंस सिंह पुत्र जंगीर सिंह के नाम दर्ज 2.066 है0 भूमि में वादी सुखचैन सिंह पुत्र जसवंत सिंह व प्रतिवादी सं0 3 जसवंत सिंह पुत्र हरबंस सिंह बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 हरबंस सिंह 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 जसविन्द्र सिंह 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रकरण से संबधित दोनो जमाबंदियो में हरबंस सिंह के नाम दर्ज रकबा राजस्व रिकार्ड में रहन दर्ज है। यह रहन फक होने पर इस आदेश का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। वादी इस भूमि का खाता विभाजन भी करवाना चाहता है। परन्तु इस प्रकरण से संबंधित दोनो जमाबंदियों में गुरदीप सिंह पुत्र जंगीर सिंह भी सहखातेदार है, जिसे प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। अतः 53आरटीए की हद तक दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिगरी इसी आशय का जारी हो। पर्चा डिगरी की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
मुकेश बारिक, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner